

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या – 1

(राजकीय पॉलीटेक्निक बीरोंखाल उत्तराखण्ड)

प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

यह संस्था राजकीय पॉलीटेक्निक बीरोंखाल, मुख्य शहर बीरोंखाल से लगभग 2 किमी0 दूर पूर्व की दिशा में रा० राजमार्ग 121 रोड पर स्थित है। इस संस्था में प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत सिविल इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०आई०), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। वार्षिक परीक्षाओं के संचालन एवं डिप्लोमा (पत्रापादि उपाधि) प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है जो कि रुड़की में स्थित है। परीक्षा एवं डिप्लोमा तथा पाठ्यचर्या सम्बन्धी समस्त कार्य एवं प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का संचालन कार्यन्वयन उक्त परिषद् द्वारा किया जाता है।

राज्य बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् लखनऊ द्वारा वार्षिक आधार पर परीक्षाएँ होती थीं। परन्तु वर्तमान में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की द्वारा परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति द्वारा संचालित की जा रही हैं। इस अभिनव प्रयोग से छात्रों को कम समय में अधिक विषयवस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है तथा आधुनिकीकरण के फलस्वरूप नित्य नये प्रयोगों से परिवर्तित संशोधन पाठ्यचर्या के समावेश में सुविधा मिल जाती है।

संस्था में निम्नांकित पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है तथा इसकी प्रवेश क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम की अवधि
1	सिविल अभियंत्रण	40	त्रिवर्षीय

संस्था में कुल स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार तालिका में दर्शायी गयी हैं।

क्रमांक संख्या	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	प्रधानाचार्य	15600—39100	01	0	01	प्रधानाचार्य / समन्वयक के कार्य हेतु डॉ ए0के0 सिंह, अध्यक्ष बेसिक साइन्स, रा0पा0 गरुड से रा0पा0 बीरोंखाल में सम्बद्ध
2	अध्यक्ष बेसिक साइन्स	15600—39100	01	0	01	
3	व्याख्याता सिविल	15600—39100	03	01	02	वर्तमान में श्री वी0 जमलोकी, व्याख्याता सिविल रा0पा0 कुलसारी से समन्वयक के कार्य हेतु सम्बद्ध है तथा अतिथि अनुदेशकों द्वारा शैक्षिक कार्य का सम्पादन।
4	व्याख्याता रसायन	15600—39100	01	0	01	
5	अध्यक्ष अंग्रेजी	15600—39100	01	0	01	
6	कर्मशाला अनुदेशक	9300—38800	05	01	04	
7	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5200—20200	01	0	01	
8	मुख्या सहायक	5200—20200	01	01	0	
9	प्रवर सहायक	5200—20200	01	0	01	
10	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	01	01	0	
11	कम्प्यूटर आपरेटर / कनिष्ठ सहायक	5200—20200	01	01	0	वर्तमान में श्री पवन सिंह कम्प्यूटर आपरेटर / कनिष्ठ सहायक रा0पा0 क्वासी से सम्बद्ध है।
12	चौकीदार	4440—7440	03	0	03	
13	परिचारक (माली / बेलदार)	4440—7440	01	0	01	
14	स्वीपर	4440—7440	02	0	02	
15	लैब अटेंडेंट	5200—20200	02	02	0	
16	लइब्रेरी अटेंडेंट	5200—20200	01	01	0	नियुक्ति लैब परिचर के पद पर है।
17	परिचारक (कर्म0अटेंडेंट)	5200—20200	01	01	0	

मैनुअल संख्या – 2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

शादिक अर्थानुसार वैसे तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अपने पद के अनुरूप उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों का समावेश निहित होता है, फिर भी शासकीय कार्यों को सम्पादित करने में पदेन मर्यादा एवं गरिमा का पालन किया जाता है। हाइरार्की (सोपान) के नियम के तहत प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शक्तियों एवं कर्तव्यों का बोध निहित होता है। कहीं पर लिखित रूप में दायित्वों का बोध कराया जाता है तो कहीं पर अधिकारी अपने संज्ञान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी शक्तियों को उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों का वितरण एवं बोध कराता है।

विशेष रूप से संस्था स्तर पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे। राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में सर्वोच्च पद पर एक प्रधानाचार्य होता है उसकी नियुक्ति उपलब्ध पदों के 75 प्रतिशत पद वरिष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति (डी०पी०सी०) द्वारा एवं 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। ००प्र० राजपत्रित सेवा नियमावली 1990 उपनियम 8 के अनुसार एक संयुक्त सूची बनाकर शासन विभिन्न बहुधंधी संस्थानों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति श्रीमान निदेशक महोदय, प्राविधिक शिक्षा के दृढ़ीकरण (Endorsement) के उपरान्त, 19(4) धारा के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद पर तदर्थ प्रोन्नति कर नियुक्ति करने का भी प्रावधान है।

इनका दायित्व संस्था के पठन–पाठन से लेकर साज–सज्जा, उपकरणों के क्रय, मरम्मत, सफाई व्यवस्था तथा छात्र कल्याण सम्बन्धी समस्त कार्यों को करवाने की शक्तियाँ निहित होती हैं। संस्था के दैनिक कार्यकलापों की गतिशीलता हेतु उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति एवं दंड देने का अधिकार है। अन्य अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के हितार्थ आकस्मिक अवकाश, वेतन आहरण एवं वितरण का कार्य, अस्थाई समान्य भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृत एवं अराजपत्रित कर्मियों को उपार्जित अवकाश एवं चिकित्सावकाश की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार होता है तथा समस्त कर्मियों के अनेक कार्य एवं आचरण से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय आख्या लिखना एवं संस्था हित में उठाये जाने वाले कदमों की शक्तियां प्रदत्त हैं।

जहाँ शक्तियां हैं वहीं कर्तव्य भी निहित है। बहुधंधी संस्था का प्रधानाचार्य एक शैक्षिक अधिकारी होता है अतः संस्था के प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ शैक्षिक कार्यकलापों को देखना भी उसका कर्तव्य है। अतः सप्ताह में कम से कम 03 वादन लेना उसके कर्तव्य में निहित है संस्था की प्रत्येक इकाई का निष्पक्षता के आधार पर उसकी समस्याओं का निदान एवं कल्याणकारी कार्य सम्पादित करना उसका कर्तव्य है किसी छात्र/छात्रा या स्टाफ के अचानक अस्वस्थ होने पर उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबंध करना भी उसके नैतिक दायित्वों में आता है यदि कोई प्रकरण किसी भी नियम में आच्छादित नहीं होता है तो उसे स्वयं विविकानुसार निर्णय लेना होता है।

प्रधानाचार्य के अधीन अन्य स्टाफ जैसे विभागों के अध्यक्ष, व्याख्याता, कनिष्ठ व्याख्याता, सहायक व्याख्याता, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, अनुदेशक, कार्यालय स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचर कर्मिक होते हैं। वैसे तो अधिकारी/कर्मचारी को विशेष शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं परन्तु समय–समय पर संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानाचार्य द्वारा उन्हे अपनी शक्तियाँ स्थानान्तरित की जाती हैं एवं तदनुसार कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। शैक्षिक अधिकारी/कर्मचारी की सम्पूर्ण शक्तियाँ एवं कर्तव्य उनके द्वारा छात्र को अपने विभाग के व्याख्याता, सकायक व्याख्याता एवं अन्य

शैक्षिक कर्मियों की मदद से समय चक्र का निर्माण करना, सुचारू पठन-पाठन के लिए उसका कियान्वयन करना विभाग से संबंधित छात्रों की समस्याओं का अनु श्रवण कर उचित समाधान करना।

ए0आई0सी0टी0आई0 के मानक के अनुसार 18 वादनों तक एवं परिषद के नियमानुसार छात्रों को पाठ्यचर्या, व्याख्याताओं एवं अन्य सम्बन्धित शिक्षकों से अध्यापित करवाना/प्रयोगशालाओं/कर्मशालाओं एवं अन्य अभिकरण को सुचारू रूप से संचालित करवाना, छात्रों के अनुशासन संबंधित निर्णय लेने की शक्तियां एवं कर्तव्य प्रदत्त हैं। विभागाध्यक्षों को अपने विभाग के व्याख्याताओं की गोपनीय आख्या प्रधानाचार्य को संस्तुत करने का अधिकार है प्रधानाचार्य द्वारा गठित अनुशासन समिति (प्राक्टोरियल बोर्ड) जिसमें सभी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्याख्याता एवं अन्य विभागीय कर्मचारी होते हैं। जिन्हें छात्र-छात्राओं की सभी समस्याओं का निदान कर संस्तुति प्रधानाचार्य को देनी होती है जिससे संस्था में शांतिमय वातावरण बना रहे।

व्याख्याता एवं समकक्ष अधिकारियों को अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों'क अनुसार वादन लेकर पाठ्यचर्या को पढ़ाना होता है तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति पंजिका एवं शैक्षिक डायरी का रख रखाव होता है।

संस्था में व्याख्याता एक महत्वपूर्ण पद होता है उसे शिक्षण की प्रत्येक विधा से संपर्क रखना होता है। परीक्षा सम्मन्न कराना, मूल्यांकन कराना, प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यचर्या संशोधन में सहभागिता करना, परीषदीय उड़ाका दल एवं स्थानीय उड़का दल में सम्मिलित होकर परीक्षाएं स्वस्थ एवं सुचारू रूप से कराना। सम्बन्धित प्रयोगशाला में उपस्थित रहकर छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना, विषय वस्तु से सम्बन्धित मौखिक द्वारा उनके ज्ञानात्मक पहलू का अनवरत रूप से आंकलन कर उनका मूल्यांकन करना होता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर संस्था प्रशासन द्वारा सौंपे दायित्वों का निर्वहन करना भी होता है। शासन /विभाग ने उसे समुचित अधिकार भी प्रदान किये हैं। व्याख्याता एक द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होता है अतः विभाग न उसकी 15 वर्ष की सेवाओं के साथ प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नत हेतु राजपत्रित नियमावली 1990 के द्वारा अर्ह माना है तथा उसे प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित करने एवं चरित्र प्रमाण पत्र देने का अधिकार भी शासन द्वारा प्रदान किया गया है।

सहायक प्रवक्ता स्तर के कर्मचारी विभागों में व्याख्याताओं के साथ संपर्क कर पठन-पाठन की प्रक्रिया को गतिशील करते हैं इनकी अर्हता अभियांत्रिक डिप्लोमा या उच्च होती है। विशेषकर सहायक व्याख्यातागण प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराते हैं एवं व्याख्याताओं के उपलब्ध न होन पर या स्वयं के अनुरोध पर सैद्धांतिक कक्षाएं भी सम्पन्न कराते हैं। इनका नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक/निदेशक होते हैं। इन्हें सम्पूर्ण प्रायोगिक कार्यों को सम्पन्न कराने का अधिकार प्राप्त है तथा परिषद द्वारा निर्धारित प्रायोगिक कार्य को समयान्तर्गत सम्पन्न कराना तथा छात्रों की प्रायोगिक सम्बन्धी अभिलेख फाईल, प्राकार्य इत्यादि का रखरखाव करते हैं साथ ही साथ विभागीय अन्य प्रदत्त कार्यों को सम्पन्न कराने में सहायक होते हैं।

अनुदेशक (कर्मशाला/अन्य): कर्मशाला अनुदेशक अपने कर्मशाला अधीक्षक के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा उसके निर्देशन में विभिन्न कार्यशालाओं का संचालन करते हैं तथा छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनकी पदोन्नति सहायक कर्मशाला अधीक्षक तथा कर्मशाला अधीक्षक के पद पर होती है।

कला अनुदेशक: अभियांत्रिकी की सभी शाखाओं में कला विषय का अध्यापन करने का दायित्व कला अनुदेशक का होता है। इसमें यांत्रिक, सिविल, विद्युत आदि अनुदेशक होते हैं। इनके नियुक्ति अधिकारी भी संयुक्त निदेशक/निदेशक होते हैं। अभियांत्रिक कला अभियांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण अंक होता है तथा उसे अभियंताओं की भाषा भी कहते हैं अतः इन कर्मिकों का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संबन्धित विभागाध्यक्ष या कार्यवाहक विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत उनने निर्देशानुसार ये छात्रों को एक नवीन विषय की जानकारी देते हैं। विषय-वस्तु को स्पष्ट करने के लिए इर्दे विभिन्न माडलों का भी प्रयोग करना होता है।

कम्प्यूटर प्रोग्रामर: संगणक प्रयोगशाला के सफल संचालन हेतु तथा अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी की शाखा के छात्र/छात्राओं को समुचित व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके नियुक्ति प्राधिकारी भी संयुक्त निदेशक/निदेशक होते हैं। आजकल कम्प्यूटर की जानकारी सभी विधाओं में आवश्यक हो गयी है। अतः कम्प्यूटर कर्मिक का दायित्वों का विवरण छात्र हित में करते हैं।

पुस्तकालयाध्यक्ष: संस्था में एक पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक योग्यताधारी पुस्तकालयाध्यक्ष होता है। उसकी नियुक्ति संयुक्त निदेशक स्तर के प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार होती है। संस्थ में प्राविधिक/अप्राविधिक, फार्मसी, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, साहित्य, अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक विधाओं कम्प्यूटर, आई०टी० अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी इत्यादि की पुस्तकें हैं। तथ विभिन्न पत्र, जर्नल, समाचार पत्र इत्यादि उपलब्ध रहते हैं। एक योग्य एवं कुशल पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की है।

प्रयोगशाला प्राविधिकः: इन्हें प्रयोगशाला सहायक भी कहते हैं इनका कार्य प्रयोगशाला का रख रखाव करना, छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक कार्य कराना तथा छात्रों की अन्य समस्याओं का अध्ययन कर उन्हें विभागाध्यक्ष के माध्यम से हल कराना होता है। इनके नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त निदेशक/प्रधानाचार्य होते हैं। विभाग में इन कर्मिकों को योगदान महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालय स्टाफः: इसमें एक वरिष्ठ लिपिक, एकाउन्ट लिपिक, लेखाकार, आशुलिपिक, छात्र लिपिक, टंकण लिपिक इत्यादि होते हैं। इन कर्मिकों की सहायता से प्रधानाचार्य संस्था के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली, अन्य अभिलेख, सामान्य भविष्यनिधि एवं विवरण तैयार कराते हैं तथा समस्त स्टाफ के समस्त कार्य कार्यालय द्वारा ही सम्पादित होते हैं। समय पर वेतन बिल का निर्माण एवं कर्मिकों में उसके भुगतान से लेकर अन्य मौद्रिक कार्य इन्हीं की सहायता से प्रधानाचार्य सम्पन्न करते हैं। इन्हें सहायक स्टाफ भी कहते हैं। कार्यालय स्टाफ जितना अधिक कुशल, गतिशील होगा उसी अनुपात में कर्मिकों के प्रकरण निष्पक्ष भाव से निपटाये जा सकते हैं। इनके नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर के प्राधिकारी होते हैं। प्रधानाचार्य की संस्तुति पर संयुक्त निदेशक स्तर के प्राधिकारी इन पर प्रशासनिक/कल्याणकारी कार्यवाही कर सकते हैं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: बहुधांधी संस्थाओं में प्रत्येक शाप, प्रयोगशाला, कर्मशाला, कार्यालय, छात्र कल्याण, भंडार पुस्तकालय इत्यादि हेतु कार्य गतिशीलता हेतु मानक के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति किये जाते हैं। वर्तमान में राजकीय पॉलीटेक्निक बीरोंखाल में 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इनका कार्य, सहायक व्याख्याताओं, अनुदेशकों की मदद करना है। जिससे वे कर्मचारी हैं इनका कार्य, सहायक व्याख्याताओं, अनुदेशकों की मदद करना है। जिससे वे छात्र/छात्राओं को भली-भृति एवं कुशलता से व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर सकें। इनका दायित्व कर्मशाला, प्रयोगशाला, शाफ इत्यादि की सफाई, मशीनों एवं अन्य उपकरणों की नियमित सफाई तथा प्रत्येक इकाई की जानकारी रखकर उसे अनुदेशक, सहायक व्यायाता, कर्मशाला अधीक्षक या सम्बन्धित अधिकारी को देना होता है सभी अधिकारियों,

कर्मचारियों एवं अन्य आगन्तुकों के साथ विनम्रता का व्यवहार कर उन्हें जल प्रस्तुत करना तथा मेजों, कुर्सियों इत्यादि की सफाई कर एक शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना होता है। डाक व्यवस्था, कोषागार सम्बन्धी कार्य, निदेशालय के त्वरित कार्य, दूरभाष सुनना तथा सम्बन्धित अधिकारियों की सहायतार्थ तत्पर रहना इनके दायित्व में आता है। इनके नियुक्ति अधिकारी संस्था के प्रधानाचार्य होते हैं। इन्हे नियंत्रण करने के समस्त अधिकार संस्था के प्रधानाचार्य को प्राप्त होते हैं।

मैनुअल संख्या 3

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

संस्था के प्रधानाचार्य को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। प्रधानाचार्य अपने कृत्यों का निर्वहन, शासन शासकीय कार्यों के सफल संचालन एवं नियमबद्ध तरीके से करने के लिए बनाए गये वित्तीय हस्त पुस्तिकायें, सुगम सेवा नियमावलियों, शासनादेश संगहों के नियमों के अनुसार करता है। ये अभिलेख संस्था पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित नियमों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन आहरण तीन माह के मूल वेतन की धनराशि के बराबर जी०पी०एफ० अग्रिम स्वीकृति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति (अधिकृत कमेटी गठित कर) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। तृतीय श्रेणी प्रशिक्षण वर्ग एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान हेतु संस्तुति उच्चाधिकारियों/निदेशक/शासन को की जाती है।

प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मियों द्वारा भी नियमों/ अनुदेशों के उक्त अभिलेखों में निर्देशित नियमों का अनुपालन करते हुए कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। जैसे व्याख्याताओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार कम से कम 12 वादन लेना, छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, उपस्थिति पंजिका को अद्यावधि रखना, शिक्षक डायरी का रख रखाव, दात्रों को अनुशासित रखने में प्रेरक की भूमिका इ। निर्वहन करना। समय समय पर पाठ्यक्रम की समयानुसार समीक्षा कर उच्च शैक्षिक अधिकारियों को संसूचित करना। पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ पुस्तकों एवं जर्नलों को पूर्ण उपयोग कर आधुनिक एवं समीचीन प्राविधिकी एवं विधाओं से अवगत रहकर छात्रों को प्राविधिकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण करना।

मैनुअल संख्या 4

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के लिए परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

सम्प्रति संस्था स्तर पर जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अभी तक कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है। और न ही इसकी आवश्यकता महसूस की गई है, जनता का एक मात्र प्रतिनिधि या लोक सेवक प्राविधिक शिक्षा परिषद का नामित सदस्य होता है एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्य कलापों में उसकी संस्तुति ली जानी है। तदनुसार परिषद संस्थाओं का संचालन करती है। फिर भी यदि शासन चाहे तो प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन हेतु जनता के किसी समप्रान्त शिक्षाविद को संस्था के हितार्थ संस्था से जोड़ सकता है।

मैनुअल संख्या 5

दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, के अनुसार विवरण

संस्था के प्रधानाचार्य को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। शासकीय कार्यों का सुचारू रूप से एवं नियम संगत प्रक्रिया के अनुरूप सम्पादित करने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय सहायकों को कार्य आवंटित किया जाता है तथा कार्यालय सहायकों द्वारा समस्त दस्तावेजों का प्रवर्ग वार रख— रखाव किया जाता है जो कि प्रधानाचार्य के नियंत्रणाधीन होते हैं।

- 1. स्थापना**
- रजिस्टर ऑफ रजिस्टर।
 - आकस्मिक अवकाश/निबन्धित अवकाश/प्रतिकर पंजिका।
 - आदेश पंजिका।
 - समस्त अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति पंजिकायें।
 - समस्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिकायें।
 - समस्त अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावलियाँ।
 - शासनादेशों की गार्ड फाईल।
 - निदेशालय/परिषद/शासन से पत्राचार सम्बन्धी पत्रावली सम्बन्धित विभिन्न विभागों से विविध प्रकार के पत्राचार की पत्रावलियाँ।
 - ए०आई०सी०टी०ई० से सम्बन्धित पत्रावली।
 - डायरी एवं डिस्पैच पंजिका।
- 2. लेखा**
- आहरण/वितरण (वेतन)/अन्य सभी प्राकर के भत्ते सम्बन्धी बिल/पत्रावली।
 - कैश बुक।
 - भण्डार क्य सम्बन्धी बिल/बाउचार पत्रावली।
 - मासिक/वार्षिक आय—व्यय ,बी०एम० 8,11,6 सम्बन्धी पत्रावलियाँ।
 - छात्र निधि सम्बन्धी अभिलेख।
 - 11सी पंजिका।
 - कोषागार पंजिका।
 - चैक/बैंकड्राफ्ट रजिस्टर।
 - अग्रीम पंजिका।
 - छात्र प्रवेश पंजिका

- टेण्डर रजिस्टर।
- एस०पी०एस० रजिस्टर।
- छात्र शुल्क रजिस्टर।

3. भण्डार —क्रय किये जाने वाले समस्त साज—सज्जा, उपकरण सम्बन्धी डेड—स्टॉक।

- कंज्यूमेबल आइटम सम्बन्धी भण्डार पंजिका।
- क्रय / कोटेशन / निविदा सम्बन्धी पत्रावलियां।
- निष्प्रयोज्य सामग्री / निलामी सम्बन्धी पत्रावली।
- साज—सज्जा / समान निर्गत, वापस सम्बन्धी इन्डेन्टेस पत्रावली।

4.छात्र सम्बन्धी — प्रवेश सम्बन्धी पत्रावली।

- प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की से सम्बन्धित समस्त निर्देश, कार्यकलापों से सम्बन्धित पत्रावली।
- छात्रों के डिप्लोमा, अंकतालिका, स्थानान्तरण, छात्र वृत्ति सम्बन्धी पत्रावली।
- छात्रों की अंक तालिका एवं तालिका एवं सम्बन्धित सूचनायें।

5. भवन सम्बन्धी —मुख्य भवन, महिला छात्रावास, विद्युत बिल, इंटरनेट बिल एवं टेलीफोन बिल सम्बन्धी पत्रावली।

6. गोपनीय —समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये गये शासकीय कार्यों के अंकलन पर आधारित चरित्र—चरित्र— प्रविष्टियों सम्बन्धी दस्तावेज।

मैनुअल संख्या 6

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत शिक्षण / प्रशिक्षण कार्यों के क्रियान्वयन / सम्पादन हेतु शासन द्वारा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया है जो कि रुड़की में स्थित है। परिषद के वरिष्ठतम् अधिकारी सचिव होते हैं तथा उनके अधीनस्थ संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, सीनियर आडिटर, लेखाकार एवं वरिष्ठ सहायक कार्यरत हैं।

परिषद कार्य जैसा कि पूर्व में (मैनुअल क्रम सं0 1) में बताया गया है कि छात्रों के प्रवेश कराने से लेकर डिप्लोमा प्रदान करने तक कि समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को कार्यान्वित करना है। परिषद की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होती हैं। जनता का एक प्रतिनिधि प्राविधिक शिक्षा परिषद का नामित सदस्य होता है। परिषद के समस्त कार्यकलापों में उसकी संस्तुति ली जाती है।

संस्था के कार्यों के सफल संचालन हेतु संस्था स्तर पर निम्न समितियाँ गठित की जाती हैं।

1. अनुशासन समिति।
2. छात्र प्रवेश समिति।
3. प्रोफेसरियल समिति।
4. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति।
5. परीक्षा समिति।
6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट समिति।
7. बगवानी एवं परिसर साज-सज्जा समिति।
8. पुस्तकालय समिति।
9. विद्युत अनुरक्षण समिति।
10. सिविल अनुरक्षण समिति।
11. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति।
12. क्रीड़ा समिति।
13. सुरक्षा समिति।
14. कोटकेष समिति।
15. क्रय एवं निष्प्रयोज्य समिति।
16. फर्नीचर रख रखाव समिति।
17. पत्रिका प्रकाशन समिति।
18. छात्रवृत्ति आंकलन / निर्धारण वितरण समिति।
19. संस्था प्रबन्ध समिति।

संस्था स्तरीय उक्त समितियों का आम जनता से कोई सम्बन्ध नहीं हैं इन समितियों में जनता की सहभागिता की आवश्यका नहीं होती है। अतः जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यदि जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यदि जनता कोई सुझाव देना चाहे तो सुझाव पेटिका में अपना मन्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे पूर्ण गम्भीरता से लिया जाता है।

मैनुअल संख्या 7
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

इस संस्था में, संस्था के प्रधानाचार्य को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 अधिकारी का नाम | — डॉ० ए०क०० सिंह |
| 2. पदनाम प्रधानाचार्य | — प्रधानाचार्य |
| 3 दूरभाष नं० | — ०१३४६—२१३०९० |
| 4. अन्य विशिष्टियां | — विशिष्टियों के सम्बन्ध में मैनुअल कम संख्या १ व २
विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जा चुका है। |

इस संस्था में, संस्था के विभागाध्यक्ष को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1अधिकारी का नाम | — श्री सत्यप्रकाश |
| 2.पदनाम | — कर्मशाला अनुदेशक। |
| 3 दूरभाष नं० | — ०१३४६—२१३०९० |

मैनुअल संख्या 8

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

वैसे तो किसी भी प्रकार के मामलों में निर्णय लेने/निपटान करने के लिए शासन द्वारा शासनादेशों एवं नियमों के माध्यम से निर्देश प्राप्त होते हैं। फिर भी किसी प्रकरण में निर्णय लेना एक प्राधिकारी के व्यक्तित्व एवं उसके ज्ञान एवं निष्पक्षता पर निर्भर करता है। इस संस्था का प्रधानाचार्य एक शैक्षिक अधिकारी होता है अतः उसके अन्दर आचार्यत्व सन्निहित होता है। उसे गणु/ दोषों के आधार पर संस्था की समस्त ईकायों के कार्यकलापों के निरीक्षण एवं परिवेक्षण करने का पूर्ण अधिकार है।

किसी भी प्रकरण के आने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित प्रकरण संस्था द्वारा निर्मित सम्बन्धित समिति को अग्रसारित किया जाता है। समिति की रिपोर्टर्ज आने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका अध्ययन स्वयं के स्तर पर भी किया जाता है एवं परोक्ष रूप से तथ्य तक पहुंचने के लिए पूर्ण जानकारी ली जाती है। पूर्ण पारदर्शिता रखते हुये जैसा कि पूर्व में बताया गया है संस्था प्रधान नियमानुसार एवं अपने विवेकानुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरण का निपटान करते हैं। और उसकी एक प्रति सूचनार्थ पट्ट पर लगा दी जाती है। जो प्रकरण संस्था प्रधान के स्तर के बाहर के होते हैं उन्हे अपनी संक्षिप्त आख्या के साथ उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिये जाते हैं।

छात्रों के प्रत्येक प्रकार के प्रकरण का सम्बन्धित समिति की संस्तुति पर व्यापक दृष्टिकोण में प्रधानाचार्य द्वारा निपटान किया जाता है। तथा अन्य गतिविधियों जैसे पठन—पाठन, सफाई, पेयजल, समयानुसार समस्त पत्राचार इत्यादि का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दैनिक स्तर पर प्रधानाचार्य या उसके द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

मैनुअल संख्या 9
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं।

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	नाम	पदनाम
1	सिविल अभियान	1. अंजलि कोटवाल 2. प्रीतम सिंह 3. भुवन चन्द्र	अतिथि व्याख्याता अतिथि अनुदेशक अतिथि अनुदेशक
2	कर्मशाला	1. श्री सत्य प्रकाश	कर्मशाला अनुदेशक
3	एप्लाइड साइंस	1. श्वेता बिष्ट	अतिथि व्याख्याता
4	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1. श्री सुनील रावत	अतिथि कम्प्यूटर प्रोग्रामर
5	कार्यालय स्टाफ	1. श्री कुंवर लाल 2. श्री मनीष चन्द्र	मुख्य सहायक कनिष्ठ सहायक
6	चतुर्थ श्रेणी स्टाफ	1. श्री बालम सिंह राणा 2. श्री मगन सिंह भण्डारी 3. श्री रोशन लाल 4. श्री चन्द्र सिंह बरियारी	लैब परिचर लैब परिचर लैब परिचर कर्मशाला परिचर

संस्था में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग से कोई निर्देशिका तो नहीं बनाई गई है, लेकिन आवश्यकतानुसार शासकीय कार्यों के सफल एवं पारदर्शी संचालन हेतु समय—समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

शासन द्वारा जारी/निर्धारित वित्त हस्त पुस्तिकाओं सुगम सेवा नियम एवं शासनादेश संग्रह में निर्देशित नियमों का पालन करते हुए समस्त अधिकारियों/ कर्मचारी कार्यों का निष्पादन करते हैं।

मैनुअल संख्या 10

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक ओर उसके निर्धारण की पद्धति

संस्था में शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कार्यों के सम्पादन हेतु मैनुअल कम संख्या 9 में अंकित किये गए अधिकारी/कर्मचारी इस संस्था में कार्यरत हैं। शासन द्वारा सृजित पदों पर उक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी इस संस्था में कार्यरत हैं। शासन द्वारा सृजित पदों पर उक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न स्वीकृत वेतनमानों में नियमानुसार वेतन निर्धारित करते हुए मासिक वेतन भुगतान किया जाता है।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पे वैन्ड
1	प्रधानाचार्य	15600—39100	7600	3
2	विभागाध्यक्ष	15600—39100	6600	3
3	व्याख्याता/कर्मशाला अधीक्षक	15600—39100	5400	3
4	कर्मशाला अनुदेशक	9300—34800	4200	2
5	मुख्य सहायक	5200—20200	2800	1
6	प्रयोगशाला सहायक	5200—20200	2800	1
7	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	2000	1
8	चपरासी, परिचर, चौकीदार, स्वीपर	4440—7440	1800	1 एस0

संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त कुल मासिक वेतन का ब्यौरा (मार्च 2014)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल मासिक वेतन
1	डॉ० ए०के० सिंह	समन्वयक/प्रधानाचार्य	15600—39100	6600	65747
2	श्री सत्यप्रकाश	कर्मा० अनुदेशक	9300—34800	4200	33889
3	श्री कुंवर लाल	मुख्य सहायक	9300—34800	4200	32378
4	श्री मनीष चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	2000	19612
5	श्री बालम सिंह राणा	लैब परिचर	5200—20200	1900	24589
6	श्री मगन सिंह	लैब परिचर	5200—20200	1900	24779
7	श्री रोशन लाल	लैब परिचर	5200—20200	1900	22109
8	श्री चन्द्र सिंह बड़ियारी	लैब परिचर	5200—20200	1800	14900

नव नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित सम्बन्धित वेतनकम के प्रारम्भिक मूल वेतन में तत्समय देय प्रतिमाह महंगाई भत्ता तथा अन्य देय भत्ता (जैसे मकान किराया, पर्वतीय भत्ता आदि) सम्मिलित करते हुए मासिक वेतन भुगतान किया जाता है।

मैनुअल संख्या 11

प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

संस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मदवार आंवटित बजट के सापेक्ष वर्तमानतः किये गये व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार है।

प्रारूप :बी० एम० 11

राजकीय पालीटेक्निक बीरोंखाल का मासिक व्यय विवरण माह मार्च 2014 (अयोजनागत)

शीष्क / मदें	कुल आवंटित बजट	मासिक योग मार्च 2014	गत माह तक का योग	क्रमिक योग	अवशेष धनराशि
01 वेतन	2100000	39598	1385992	1425590	674410
02 मजदूरी	15000	1200	13120	14320	680
03 मंहगाई भत्ता	1650000	29948	1160172	1190120	459880
04 यात्रा भत्ता	21000	312	16286	16598	4402
05 स्थायी यात्रा भत्ता	0	0	0	0	0
06 अन्य भत्ते	155000	4129	122000	126129	28871
07 मानदेय	2000	2000	0	2000	0
08 कार्यालय व्यय	15000	5450	9484	14934	66
09 विद्युत व्यय	0	0	0	0	0
10 जलकर / जल प्रभार	0	0	0	0	0
11 स्टेशनरी	14000	4865	9135	14000	0
12 कार्यालय फर्नीचर उपकरण संयंत्र	0	0	0	0	0
13 टेलीफोन व्यय	4000	1576	1513	3089	911

16 व्यापार सेवा पर व्यय	850000	64000	578796	642796	207204
18 प्रकाशन	0	0	0	0	0
19 विज्ञापान व विख्यापन पर व्यय	0	0	0	0	0
22 आतिथ्य व्यय	2000	1985	0	1985	15
25 लघु निर्माण	0	0	0	0	0
26 मशीनरी साज—सज्जा	0	0	0	0	0
27 चिकित्सा व्यय	0	0	0	0	0
29 अनुरक्षण	0	0	0	0	0
31 सामग्री आपूर्ति	25000	0	24947	24947	53
42 अन्य व्यय	5000	520	4477	4997	3
44 प्रशिक्षण	0	0	0	0	0
45 एलटीसी	0	0	0	0	0
46 कम्प्यूटर हार्ड—साप्टवेयर	0	0	0	0	
47 कम्प्यूटर स्टेशनरी	45000	4975	39885	44860	140
योग	4903000	160558	3365807	3526365	1376635

मैनुअल संख्या 12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों (**Subsidy Programming**) के क्रियान्वयन की रीति,
जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बौरे सम्मिलित हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में संस्था में अनुदान एवं राज्य सहायता कार्यक्रमों की किसी भी प्रकार का प्रस्ताव/ स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्र वेतन एवं अन्य लाभ अलग मद में नियमानुसार प्रदान किये जाते हैं।

मैनुअल संख्या 13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

इस मैनुअल में निर्धारित किये गए उक्त विषयों/प्रकरणों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप इस संस्था पर नहीं होते हैं। अतः इस सम्बन्ध में विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

मैनुअल संख्या 14
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम के सम्बन्ध में क्र0सं0 1,2,3 एवं 8 उल्लेख किया जा चुका है।